संख्या-- 399/दो--8--2017--33/सी/पी.सी.एस(पी)/97

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी,
लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग--8 लखनऊ : दिनांक: 18 अप्रैल, 2017

विषय:--तहसीलदार से प्रोन्नत डिप्टी कलेक्टर को आधारभूत प्रशिक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या--221/दो--8--2017--33/सी/पी.सी.एस(पी)/97 दिनांक: 24 मार्च 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 2017 से 27 मई, 2017 के मध्य उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी,लखनऊ में आयोजित होने वाले प्रोन्नत डिप्टी कलेक्टर्स के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 अधिकारियों को नामित किया गया था।

2--इस संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रशिक्षण हेतु नामित अधिकारियों में से निम्नलिखित अधिकारियों को प्रशिक्षण से छूट प्रदान की जाती है:--

क.सं.	अधिकारी का नाम/सर्वश्री	पद नाम	तैनाती का जिला
1	सतीश चन्द्र	डिप्टी कलेक्टर	कानपुर नगर
2	जिया लाल सरोज	डिप्टी कलेक्टर	चन्दौली

3--उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारियों को उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है:--

क.स.	अधिकारी का नाम/सर्वश्री	पद नाम	तैनाती का जिला	बैच
1	कन्हई सिंह	डिप्टी कलेक्टर	बुलन्दशहर	2012
2	अनिल कुमार अग्निहोत्री	उप जिलाधिकारी/ओ. एस.डी लखनऊ मेट्रो	लखनऊ	2014
3	राम शकल	उप जिलाधिकारी	जौनपुर	2014
4	अंजनी कुमार सिंह	डिप्टी कलेक्टर	गौतमबुद्धनगर	2012
5	सुरेन्द्र सिंह।।	उपजिलाधिकारी	फर्रुखाबाद	2012
6	अरूण कुमार मिश्रा	डिप्टी कलेक्टर	फैजाबाद	2016
7	जगप्रसाद	डिप्टी कलेक्टर	बलरामपुर	2012

4-- अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। साथ ही नामित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि प्रशिक्षण काल में उन्हें एकेडमी के हास्टल में रहना अनिवार्य होगा। इसके लिए अनुमन्य दर से रहने एवं भोजन के मद पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान एकेडमी को करना होगा एवं उक्त धनराशि का समायोजन नामित अधिकारियों को देय एवं भुगतान होने वाले दैनिक भत्ते से किया जायेगा।

भवदीय,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-- 399 (1)/दो-8-2017-33/सी/पी.सी.एस.(पी)/ 97

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, लखनऊ।
2. संबंधित जिलाधिकारियों/नियंत्रक प्राधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीन कार्यरत उक्त प्रस्तर--3 में अंकित अधिकारियों को उपरोक्त अवधि में प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. नामित अधिकारीगण द्वारा संबंधित जिलाधिकारी।
4. प्रशिक्षण से अवमुक्त अधिकारीगण द्वारा संबंधित जिलाधिकारी।
5. कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ।
6. नियुक्ति अनुभाग--3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विश्वनाथ दुबे)

अनु सचिव।